संख्या-84/2018/432/35-3-2018-1(36)/2017

प्रेषक,

राम नरायन सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2018**

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यो हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-सिद्धार्थनगर में शासनादेश सं0 2/2018/14/35-3-2018-1(36)/2017, दिनांक 10 जनवरी, 2018 द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यो हेतु रू. 202.17 लाख (रू. दो करोड़ दो लाख सत्तरह हजार मात्र) की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये उनके लिये प्रथम किश्त के रूप में रू0 161.37 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी । एतददवारा निम्नलिखित कार्यो की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये उनके लिये अवशेष देय **द्वितीय किश्त के रूप में** रू. 40.80 लाख(रू. चालीस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की,श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

(धनराशि लाख रू. मे)

विकासखंड का नाम	क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन	**प्रथम किश्त** मेअवमुक्त धनराशि	**द्वितीय किश्त हेतु** अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	
		कार्यदायी संस्था'- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग			
बढनी	1	ग्राम लोहटी से भारत नेपाल सीमा तक सडक निर्माण ल.206 मी.	15.60	15.60	**0.00**
बर्डपुर	2	ग्राम गैजड से गनवरिया तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य।ल.1.166 किमी.	39.00	39.00	**0.00**
बर्डपुर	3	मेन रोड से बी0ओ0पी0 बजहा तक सम्पर्क मार्ग एवं नाली/ रिटेनिंगवाल का निर्माण। ल.36.00मी0	8.00	8.00	**0.00**
लोटन	4	अभयजोत ग्राम से बैदौली बांध तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य ल. 665मी0	21.50	21.50	**0.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बर्डपुर	5	ग्राम भटौली पूरब टोला अनुसूचितजाति बस्ती से पानी टंकी तक शून्य से लेपन स्तर तक निर्माण कार्य ल.212 मी.	16.06	16.06	**0.00**
		कार्यदायी संस्था- गन्ना विकास विभाग			
बढनी	1	मड़नी डिडवा से बार्डर तक लेपन मरम्मत कार्य ल.1.20 किमी0	40.10	**24.06**	**16.04**
		कार्यदायी संस्था- लोक निर्माण विभाग			
शोहरतगढ	1	ग्राम धनौरा से इण्डो नेपाल सीमा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण, शून्य से लेपन स्तर तकल0-750 मी0	61.91	37.15	**24.76**
		कुल योग	**202.17**	**161.37**	**40.80**

1- संदर्भित शासनादेश दिनांक 10 जनवरी, 2018 की शर्ते यथावत लागू रहेगी ।

2- जिलाधिकारी द्वारा दिवतीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से सडक निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की ग्रयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीध्र उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4- **कार्य का निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्व ढंग से स्वीक़त लागत में ही पूरा किया जायेगा और लागत वृदिध अनुमन्य नहीं होगी।**

5- **प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय नियम सग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तत डिजाइन/डराइग एवं तकनीकी** स्वीकृतिसमक्ष स्तर से प्राप्त हेाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6- **कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुये कार्यदरायी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जायेगा।**

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-337-सड़क निर्माण कार्य-03-सड़को के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(**राम नरायन सिंह यादव**)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-84/2018/432(1)/ 35-3-2018-1(36)/2017 तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- अपर मुख्य सचिव,लोक निर्माण विभाग,गन्ना विकास एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,उ0प्र0 शासन
3- मण्डलायुक्त,बस्ती मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद ।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी,सिद्रार्थनगर ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/लोक निर्माण अनुभाग'-9 /ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) बस्ती मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी,सिद्रार्थनगर।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।